

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

-:: कार्यालय आदेश ::-

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ0 4/एफडी रूल्स/07 दिनांक 12.08.2008 के अन्तर्गत श्री कान्ति लाल परमार निलम्बित व्याख्याता जीव विज्ञान मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर को आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक 05.02.2018 से 20 प्रतिशत मकान किराया भत्ता आहरण करने कि स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है ।




(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजिगृ/मकान किराया भत्ता/2013/ दिनांक 10/07/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. अनुभाग अधिकारी रोकड़ अनुभाग कार्यालय हाजा
02. अनुभाग अधिकारी विभागीय जाँच अनेभाग कार्यालय हाजा
03. श्री कान्ति लाल परमार, निलम्बित व्याख्याता जीव विज्ञान, मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
04. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग
05. रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर